

महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस
संख्या- 1353 बी./क0नि0-6-2017

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह मौर्य,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।


संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु0-6

लखनऊ दिनांक: 26 सितम्बर, 2017

विषय- लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण मोचन योजना के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन।
महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत मामले में अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे के मध्य एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें कृषकों के संस्तुत/निरस्त किये गये प्रकरणों के अतिरिक्त दिनांक 06.10.2017 को आहूत कैम्प की कृत तैयारी पर चर्चा की जायेगी।

अतएव, आपसे अनुरोध है कि कृपया मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उपरोक्त सूचना सहित जिला स्तरीय समिति के अन्य सदस्यों के साथ प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव

संख्या- (3) बी(1)/क0नि0-6-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के अवगतार्थ।
2. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश।
3. विशेष सचिव (श्री अमृत त्रिपाठी) संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड/आयुक्त एवं निबंधक सहकारी समितियां, उ0प्र0।
6. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना,
महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. लखनऊ।
9. अनुभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव